संख्या- 16/2025/13/छप्पन-2025-18/2002 TC

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 29 जनवरी, 2025

विषयः भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य 05 हवाई अड्डों (अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, सोनभद्र तथा श्रावस्ती) के संचालन एवं प्रबन्धन हेतु दिनांक 01 जुलाई, 2022 को हस्ताक्षरित O&M (Operation & Management) अनुबन्ध के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 271/आर0सी0एस0-2024-जे-2/2019 दिनांक 05.12.2024 एवं पत्र संख्या 292/आर0सी0एस0-2024-जे-2/2019 दिनांक 17.12.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य 05 हवाई अड्डों (अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, सोनभद्र तथा श्रावस्ती) के संचालन एवं प्रबन्धन के लिए समझौते के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति एयरपोर्ट रू0 2.00 करोड़ की दर से कुल रू0 10.00 करोड़ (रूपए दस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में यथावश्यक निर्णय कराने का अनुरोध किया गया है।

2- सूच्य है कि निष्पादित O&M (Operation & management) अनुबन्ध में विहित व्यवस्था के आलोक में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा की गई मांग के अनुक्रम में शासनादेश संख्या- 65/2022/1259/001-56-1099-198-2019 दिनांक 30 अगस्त, 2022 द्वारा प्रति एयरपोर्ट रू0 02.00 करोड़ की दर से 05 एयरपोर्ट्स हेतु धनराशि रू0 10.00 करोड़ (रू0 दस करोड़ मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत की गई एवं शासनादेश संख्या- 65/2023/635/छप्पन-2023-18/2002 टी0सी0 दिनांक 29 मई, 2023 द्वारा प्रत्येक एयरपोर्ट हेतु रू0 2.00 करोड़ के अनुसार 05 एयरपोर्ट हेतु कुल रू0 10.00 करोड़ (रूपए दस करोड़) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत की गई, जिन्हें सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से प्रत्येक एयरपोर्ट हेतु खोले गए बैंक एकाउंट में जमा कराया गया।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य 05 हवाई अड्डों (अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, सोनभद्र तथा श्रावस्ती) के संचालन एवं प्रबन्धन के लिए समझौते के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति एयरपोर्ट रू0 2.00 करोड़ की दर से कुल रू0 10.00 करोड़ (रूपए दस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि रू0 10.00 करोड़ (दस करोड़ रूपए मात्र) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

I. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

II. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

III. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

IV. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

V. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

VI. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

VII. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 21 नवम्बर, 2017 के अनुसार उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 के अन्तर्गत उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

VIII. उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

IX. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य 05 हवाई अड्डों के प्रचालन हेतु दिनांक 01 जुलाई, 2022 को निष्पादित अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

X. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

4- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 10.00 करोड़ (रूपए दस करोड़ मात्र) प्रति एयरपोर्ट 02.00 करोड़ की दर से तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, सम्बद्ध 05 एयरपोर्ट (अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, सोनभद्र तथा श्रावस्ती) के निर्वतन पर रखी जाएगी और सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारियों द्वारा यथा आवश्यकता सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-38 के अधीन राजस्व लेखा लेखा शीर्ष ''3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएँ-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42-अन्य व्यय'' से वहन किया जाएगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: ई-7-242/दस-2024-2025, दिनांक 28 जनवरी, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

संख्या- 16/2025/13(1)/छप्पन-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) जिलाधिकारी, अलीगढ़/आजमगढ़/चित्रकूट/सोनभद्र/श्रावस्ती ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी अलीगढ़/आजमगढ़/ चित्रकूट/ सोनभद्र/श्रावस्ती ।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
(6) कार्यपालक निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गाँधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली- 110003 ।
(7) समीक्षा अधिकारी (बजट)/ गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।